उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-1327/37-1-2016-02(20)/2015

लखनऊः दिनांक 11 मई, 2016

कार्यालय आदेश

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा पशु चिकित्साधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित 16 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत पे बैण्ड-3 रू015600-39100,ग्रेड वेतन रू0 5400 में पशु चिकित्साधिकारी के पद पर निम्न शर्तो के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त करने तथा संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में अंकित जनपद के रिक्त पशु चिकित्सालय पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते है :-

1- उक्त अभ्यर्थी पशु चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

2- इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्ते शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होंगी।

3- उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होंगें।

4- उ0प्र0 अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

5- सभी अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या अपनी तैनाती के जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6- समस्त अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8- उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगें:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9 इन पशु चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-1327(1)/37-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-32/01/एस-2/डी/2013-14, दिनांक 03 जून, 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(4) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

(6) सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया नियुक्त अधिकारियों को प्रस्तर-8 में उल्लिखित अभिलेखों को उपलब्ध कराकर इनकी तैनाती स्थल पर योगदान करायें और योगदान रिपोर्ट शासन को विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर अवश्य प्रेषित करें।

(7) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

(8) सम्बन्धित अधिकारियों को संलग्न सूची के अनुसार (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1327/37-1-2016-2(20)2015, दिनांक// मई, 2016 का संलग्नक

क्र0	नाम/पिता का नाम	गृह जनपद/ जन्मतिथि	तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1	डा0 कर्ण सिंह पटेल पुत्र श्री शत्रुघ्न सिंह,	झांसी 10-06-1982	देवटा, गौतमबुद्ध नगर
2	डा0 देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	झांसी 15-4-1979	सरूरपुर, मेरठ
3	डा0संत प्रसाद त्यागी पुत्र श्री अशोक कुमार त्यागी	आगरा 11-6-1985	परसदा, सीतापुर
4	डा0 शारदा सिंह पुत्र श्री अमृत लाल सिंह	फतेहपुर 01-3-1987	धनूपुर, इलाहाबाद
5	डा0 शगुफता बी0 पुत्री श्री हमीदुल्लाह उस्मान	मुरादाबाद 28-9-1988	हेमपुरदीपा, बिजनौर
6	डा0 हेमेन्द्र लाल पुत्र श्री कुंवर लाल	अलीगढ 15-10-1989	संग्रामपुर, बस्ती
7	डा0 रवीश कुमार कसाना पुत्र श्री विक्रम सिंह	गाजियाबाद 02-7-1987	गांधी, बागपत
8	डा0 भारती कटारे पुत्री श्री राम चरन कटारे	आगरा 10-5-1983	वेदपुरा, इटावा
9	डा0 अक्षय बालियान पुत्र श्री विनोद कुमार बालियान	मुजफफरनगर 24-6-1990	बिनौली, बागपत
10	डा0 पायल गुप्ता पुत्री श्री अनिल कुमार गुप्ता	गाजियाबाद 15-6-1987	दोघट, बागपात
11	डा0 वन्दना सिंह पुत्री श्री दिवाकर सिंह	इलाहाबाद 15-7-1986	गौर, बस्ती
12	डा0 शिखा शर्मा पुत्री श्री श्रीप्रकाश शर्मा	झांसी 21-9-1984	करहरा, फिरोजाबाद
13	डा0 अनुश्री युवराज मेश्राम पुत्री श्री युवराज आत्मा राम मेश्राम	सोनभद्र 23-2-1988	कलवारी, बस्ती
14	डा0 सत्य प्रकाश यादव पुत्र श्री बैजनाथ यादव	गोरखपुर 24-10-1983	बमनगवां , बस्ती
15	डा0 हिमानी तिवारी पुत्री श्री अरविन्द कुमार तिवारी	बरेली 30-12-1987	खुदागंज, शाहजहांपुर
16	डा0 राम जी यादव पुत्र श्री राजदेव यादव	आजमगढ 10-7-1981	गौरा पाण्डेय, बस्ती

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 1764/स्था0–1/एक–क/तैनाती/2011–12 दिनांक 14-5-2016

शासन के पत्र संख्या–1327/37–1–2016–02(20)/2015 दिनांक 11 मई,2016 की पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– संबंधित अधिकारी।
2– मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर/मेरठ/सीतापुर/इलाहाबाद/बिजनौर/बस्ती/बागपत/इटावा/फिरोजाबाद/शाहजहांपुर।
3– मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/मेरठ/सीतापुर/इलाहाबाद/बिजनौर/बस्ती/बागपत/इटावा/शाहजहांपुर।
4– अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, मेरठ/लखनऊ/इलाहाबाद/मुरादाबाद/बस्ती/कानपुर/बरेली /आगरा।
5– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– उप सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या 32/01/एस–2/डी/2013–14 दि0 3 जून,2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
7– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8– जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/मेरठ/सीतापुर/इलाहाबाद/बिजनौर/बस्ती/ बागपत/इटावा/शाहजहांपुर।
9– अनु सचिव, पशुधन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
10– वैयक्तिक पत्रावली हेतु।

(डा0 राजेश बाबू)
निदेशक
(प्रशासन एवं विकास)